

**Joint Inspection Report in compliance of the Hon'ble NGT order, dated
10/12/2021 in the matter of O.A. No.326/2021 Behari lal chaturvedi vs Ministry
of Jal Shakti and ors.**

Background

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the matter of Original Application No. O.A. No.326/2021, dated 10/12/2021 in the matter of Behari Lal Chaturvedi vs Ministry of Jal Shakti and ors. directed as below:

1. *Grievances in the application is against alleged encroachment of Yamuna flood plain by respondent no. 2, Yamuna Mission, Mathura. It is stated that though the ostensibly acting to preserve and clean river Yamuna and undertaking plantation drive, in the garb of such activities, Yamuna flood plain is being encroached. The applicant has filed photographs showing construction on the ghats and copies of complaints made to the authorities.*
2. *In view of above allegation, we find it necessary to seek a factual and action taken report from a joint committee of CPCB, state PCB, District Magistrate Mathura and Executive Engineer, upper division, Agra canal. The state PCB will be the nodal agency for compliance. The report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form searchable pdf/OCR support pdf and not in the form of image pdf and also upload the same on website of CPCB simultaneously so that the concerned parties can access the same for further course of action."*

In compliance of the above order the joint committee carried out field visit in Mathura, U.P. from 12.01.2022 to 13.01.2022. The joint inspection team comprised of the following members:

1. Shri Jawahar Lal Shrivastava, City Magistrate, Mathura (nominated by DM, Mathura)
2. Shri Kamal Kumar, Scientist 'D', CPCB Agra (nominated by CPCB)
3. Shri Arvind Kumar, Regional Officer, UPPCB, Mathura (nominated by UPPCB)


Am An 3 12/02/22
1
yu

4. Shri Rakesh Kumar, Asst. Engineer Irrigation, Upper division Agra Canal, Mathura (nominated by Executive Engineer, Upper Div. Agra Canal, Irrigation Dept. Mathura)

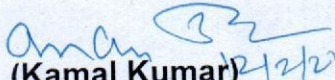
Joint team visited the site Yamuna River bank in Mathura in the presence of representative of Yamuna Mission, Mathura Sh. Gopesh Krishn Das and Sh. Devendra Das and information collected from the concerned departments i.e. Mathura-Vrindavan Nagar Nigam and Upper Div. Agra Canal, Irrigation department. The field observations are as below:

Observation:

- The joint committee visited the Ghats viz. behind Kans kila, Gau ghat, Swami ghat, Dhruv ghat, Sudarshan ghat and Mahadev ghat etc. on the Yamuna River bank, Mathura. (annexure-01)
- It was observed that Yamuna Mission, Mathura has constructed appx. 25 - 100 meter wide earthen corridor in the Yamuna River stretch about 6-8 kms. (annexure-02)
- In the corridor, huge plantation has been done by the Yamuna Mission, Mathura. (annexure-03)
- In the corridor, a lot of barbed wire fencing and small cemented brick wall construction also has been done. (annexure-04)
- These corridors have been developed as parks now. In these parks more than 100 small swings has been installed. In the gau ghat, regular aarti is being performed by Yamuna Mission, Mathura. (annexure-05)
- Some sewage effluent drains have been diverted during this construction activity by Yamuna Mission, Mathura. (annexure-06)
- As informed by representative of Yamuna Mission, Mathura that this work is being carried out since February-2015 to till now.
- As informed by representative of Yamuna Mission, Mathura that no permission has been taken from any concerned departments in Mathura for these activities. There is no technical feasibility or impact study report available for these activities on the Yamuna river.
- It was not clear to the joint committee that Ghats areas and river bank land belongs to which departments. It seems that some parts belong to Mathura-

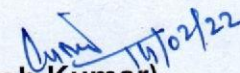
bt
ad
an
2
4
ye

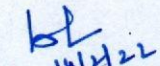
- As no permission has been taken by Yamuna Mission, Mathura for these unauthorized encroachments activities in the bank of Yamuna River by concern departments, so Honourable NGT Court may issue order to concerned departments to take appropriate action for these unauthorised activities.

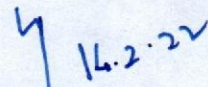

(Kamal Kumar) 12/2/22

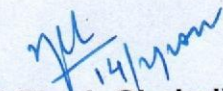
Scientist-D
Central Pollution Control Board,
Project Office, Agra

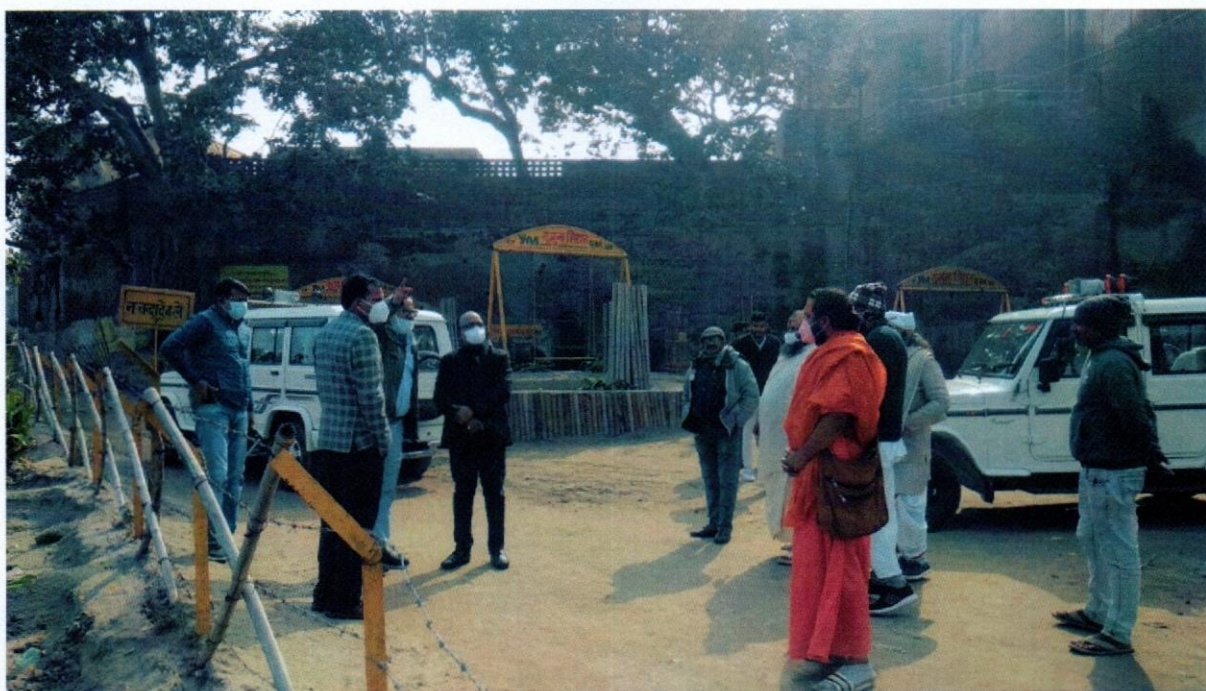

(Arvind Kumar)
Regional Officer
UP Pollution Control Board,
Mathura


(Rakesh Kumar) 15/02/22
Assistant Engineer
Irrigation Department
Upper division Agra canal,
Mathura


(Bachan Singh) 14/2/22
Executive Engineer
Irrigation Department
Upper division Agra canal,
Mathura


(Jawahar Lal Shrivastava) 16.2.22
City magistrate, Mathura


(Navneet Singh Chahal) 14/2/22
District Magistrate, Mathura



61

↓

aman



[Handwritten signature] Anand



[Handwritten signature]





aman

Annexure-3

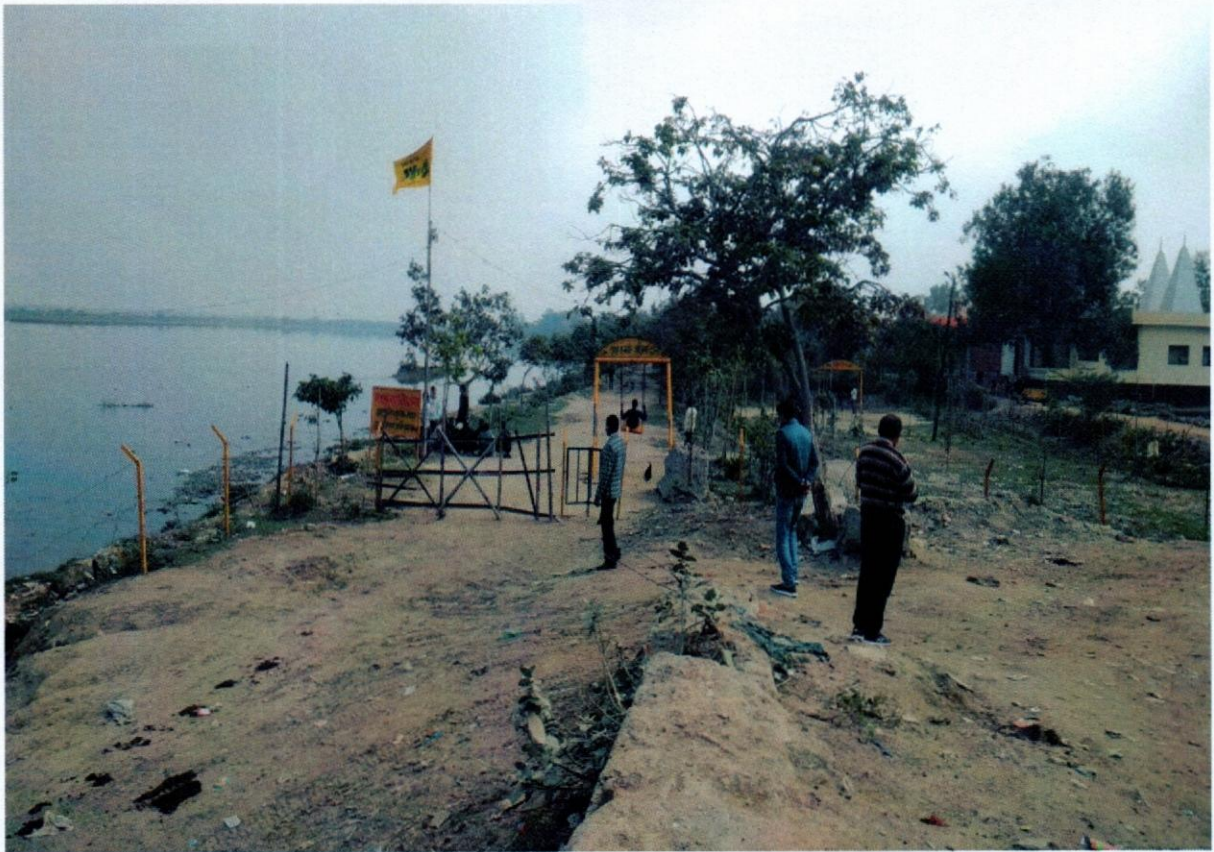


 *anant*

Annexure-4



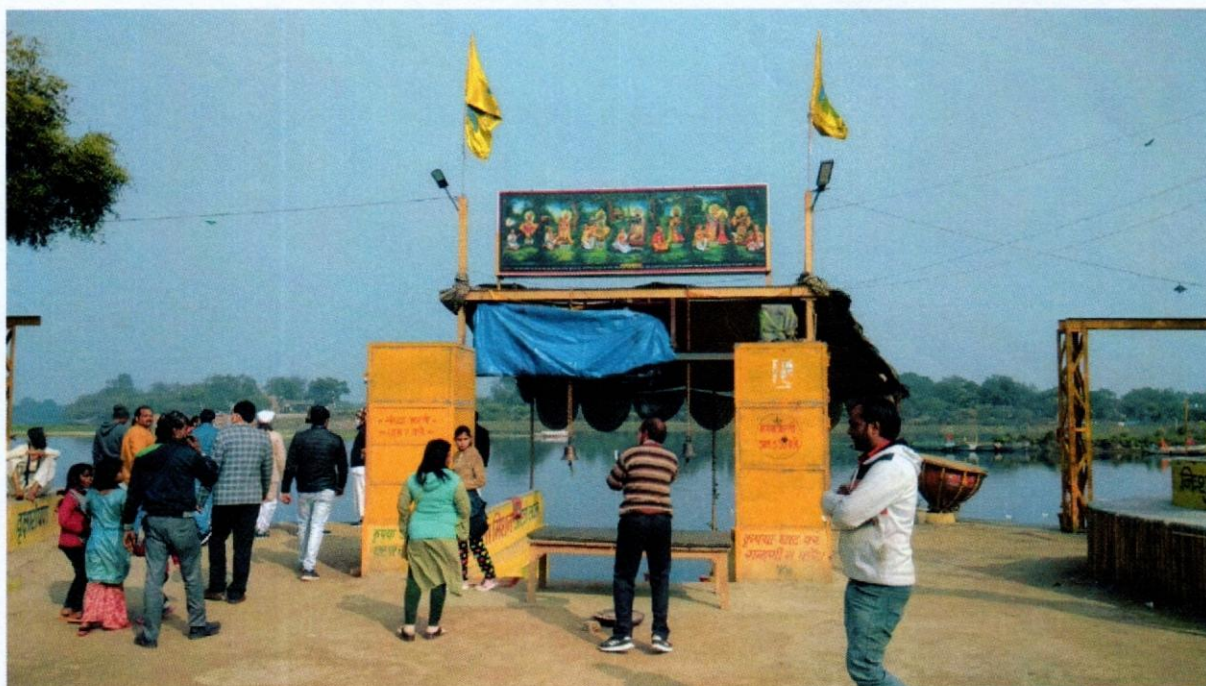


aman



aman

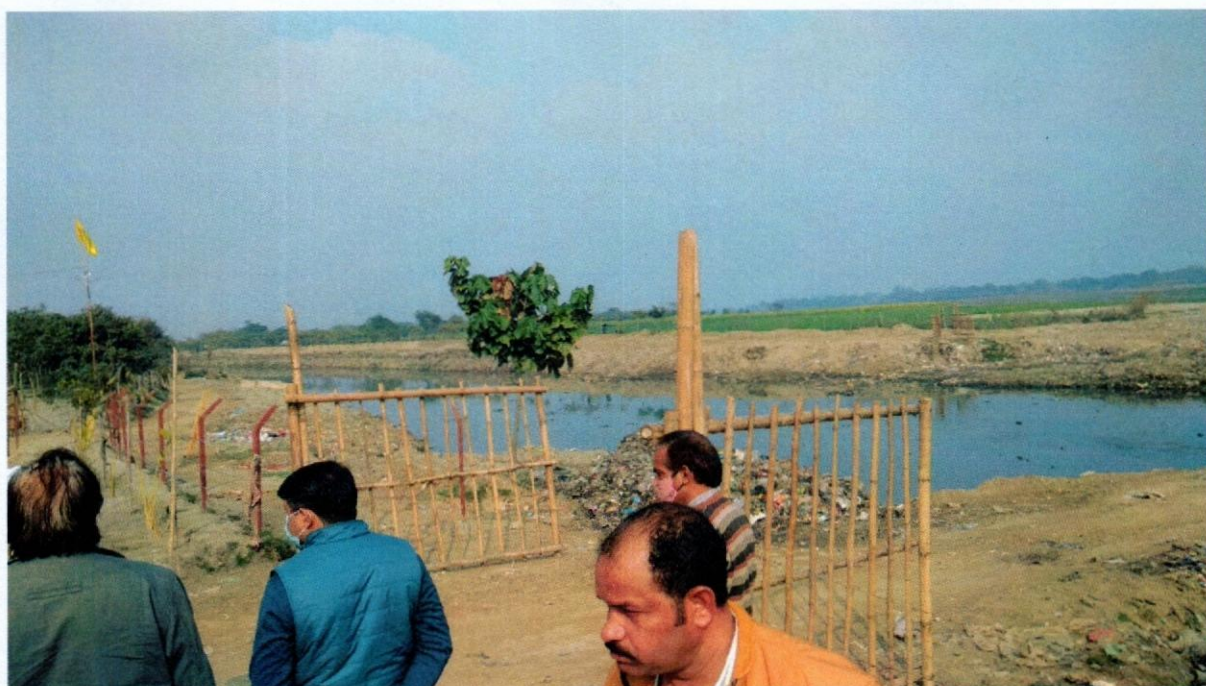
Annexure-5

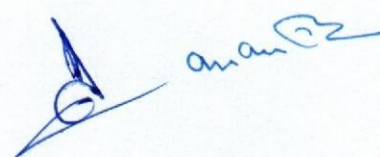


[Handwritten signature]



Amara



Handwritten signature in blue ink.

दिनांक 12.01.2020 को माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में एक संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री जवाहर लाल श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा
2. श्री कमल कुमार, प्रभारी परियोजना कार्यालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा
3. श्री अरविन्द कुमार क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा
4. श्री राकेश कुमार, सहायक अभियन्ता, अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा

संयुक्त टीम के द्वारा कंस किला, गउ घाट, स्वामी घाट, घुव घाट एवं सुर्दशन घाट आदि स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यमुना मिशन के प्रतिनिधि श्री गोपेश कृष्ण दास एवं देवेन्द्र दास उपस्थित थे। स्थल मिटटी डाल वृहद वृक्षारोपण किया गया है जो लगभग 6-7 किलोमीटर की लम्बाई में यमुना नदी के दोनों किनारे पर किया गया है। स्थलों पर तारों की बाड़ एवं ईंटों की छोटी दीवार बनाकर पार्क विकसित किये गये हैं। पार्क में झूले आदि लगाये गये हैं। यमुना मिशन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यह कार्य फरवरी 2015 से किया जा रहा है तथा इस कार्य को करने के लिये किसी भी विभाग से कोई भी अनुमति नहीं ली गयी है और न ही उनके द्वारा निरीक्षण के समय को साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

निरीक्षण के समय देखा गया कि यमुना मिशन द्वारा जिस भूमि पर कार्य किया गया है व भूमि नगर निगम या सिंचाई विभाग की प्रतीत होती है। संयुक्त टीम द्वारा दोनों विभागों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र का चिन्हांकन करते हुये विस्तृति रिपोर्ट साक्ष्य के साथ 07 दिवस के अन्दर टीम को प्रस्तुत करें जिससे आख्या ससमय साक्ष्यों के साथ माननीय हरित न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकें।

(राकेश कुमार)
सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग
अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मथुरा

(कमल कुमार)
प्रभारी अधिकारी,
केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा

(जवाहर लाल श्रीवास्तव)
सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा



क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
65 ए. बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

पत्रांक: 1005/0-80/2022

दिनांक: 21/01/22

सेवा में,

1. उपायुक्त महोदय, मथुरा-वृन्दावन, नगर निगम, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, अपर डिवीजन, आगरा कैनल, मथुरा।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० सं०-326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 9562/सी-4/एन०जी०टी०-137-विधि/2021 दिनांक 17.12.2021 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ के पत्रांक-CM-13011/2021-TECH-RD-LUCKNOW/1050 दिनांक 03.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में प्रवर्तित कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० सं०-326/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में यमुना नदी प्रदूषण क्षेत्र के कथित अतिक्रमण के संदर्भ में तथ्यात्मक एवं कार्यवाही रिपोर्ट हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दिनांक 12.01.2021 को संयुक्त रूप से निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। उक्त सम्बन्ध में आप अवगत कराये कि यमुना मिशन द्वारा यमुना नदी आस-पास अतिक्रमण किये जाने हेतु आपके कार्यालय से किसी प्रकार की अनुमति/सहमति प्राप्त की है अथवा नहीं की पूर्ण सूचना इस कार्यालय को गत कराने का कष्ट करें, जिससे मा० एन०जी०टी० को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

पि. निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), मथुरा।

सिटी मजिस्ट्रेट, मथुरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा**

पत्रांक : /अपर/कोर्ट केस/एन0जी0टी0/ दिनांक: /02/2022

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ0ए0 संख्या 253/2021 बिहारी लाल चतुर्वेदी बनाम जल शक्ति मंत्रालय एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 के सम्बंध में।

संदर्भ:-सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पृष्ठांकित संदर्भ संख्या एच 69562/सी-4/एन0जी0टी0-137-विधि/2021, दिनांक 17.12.2021

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि अन्यो के साथ आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है। उक्त के सम्बंध में इस खण्ड के सहायक अभियन्ता प्रथम की आख्यानसार सूचनीय है कि सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी के अन्दर एवं यमुना नदी के किनारे पर नदी को संरक्षित करने, वृक्षारोपण करने एवं साफ-सफाई करने के लिये यमुना मिशन को कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। इस खण्ड के उपखण्ड प्रथम द्वारा यमुना मिशन के विरुद्ध माह नवम्बर 2018 में थाना गोविन्द नगर मथुरा में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा चुकी है एवं यमुना मिशन संस्था को उक्त कार्य न करने के लिये उपखण्ड स्तर से पत्राचार भी किया गया है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

/
**अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा**

पत्रांक : 306 /अपर/कोर्टकेस/ दिनांक: 04/02/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को उनके पत्रांक 1787/दिनांक 20.12.2021 के सम्बंध में।
- ✓ 2. सहायक अभियन्ता प्रथम अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा को उनके पत्रांक 35/स0अ0प्र0 /अपर/कोर्टकेस/दिनांक 25.01.2022 के सम्बंध में।

SDS
25/01/22

b1
**अधिशासी अभियन्ता
अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा**

anand

(2)

सेवा में,

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय,
थाना गोबिन्दनगर, मथुरा

विषय:- यमुना नदी के किनारे यमुना के फलड प्लेन में बिना सक्षम अनुमति/स्वीकृति के कच्चा/पक्का स्थायी निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ध्रुवघाट से लेकर जयसिंहपुरा खादर तक लगभग 7 से 8 किमी0 लम्बाई में यमुना नदी के किनारे एवं फलड प्लेन में कब्जा करने की नीयत से कच्चे/पक्के निर्माण कार्य यमुना मिशन द्वारा किये जा रहे हैं।

यमुना मिशन के कार्य संस्थापक श्री प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मानिकगोक, मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामंडी चौक बाजार मथुरा द्वारा कराये जा रहे हैं।

यमुना मिशन को पत्रांक 227/ दिनांक 23.10.2018 द्वारा धारा 441 में नोटिस जारी किया गया था। श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा कुछ अभिलेख प्रस्तुत किये गये परन्तु अवैधानिक कब्जा एवं कार्यों के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि निर्दोष साबित हो सकें। यमुना मिशन द्वारा इन कार्यों को करने के लिए किसी भी विभाग के सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

अतः यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल निवासी हरा फाटक मानिकगोक, मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामंडी चौक बाजार मथुरा के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक- 3/11/2018

रंजीव कुमार तिवारी
सहायक अभियन्ता प्रथम
अपर रण्ड आगरा नरेश
मथुरा
मोबाइल - 9639810058

बृजराज सिंह
जिलेदार डिग्री
अपर रण्ड आगरा नरेश
मथुरा
मोबाइल - 9456862712
राम अकशर शर्मा
रंजीव तिवारी
अपर रण्ड आगरा नरेश
मोबाइल - 0126641924

H.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-4 (एकीकृत जांच फॉर्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section-154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 टिड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District (जिला): मथुरा P.S. (थाना): गोविन्द नगर Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. 0708 Date & Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 03/11/2018 17:07 बजे
2. S.No. (क्र.सं.): Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 भा.दं.सं. 1860 431
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): Date From (दिनांक से) Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 03/11/2018 Time (समय): 16:57 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Date & Time (दिनांक और समय): 03/11/2018 16:57 बजे
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 040
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्वोत्तर, 2 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): जयसिंहपुरा बाटौर
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री संजीव कुमार तिवारी सहायक अभियन्ता प्रथम
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1970 (d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
S.No. (क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)
1
2



(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	अपरखण्ड आगरा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	अपरखण्ड आगरा नगर, गोविन्द नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

50/11
J.M
Sharma

2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फॉर्म -1)

(I) Occupation (व्यवसाय):

(J) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री प्रदीप वंसल			1. हरा फाटक मानिकचोक, कोतवाली, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
2	श्री अनिल कुमार शर्मा			1. शीतलाघाटी घीयामन्डी, कोतवाली, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (संपत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल सहरीर हिन्दी टाइपशुदा वाटी सेवा मे श्री मान बानाध्यक्ष महोदय थाना गोविन्दनगर मथुरा विषय यमुना नदी के किनारे पलड प्लेन मे बिना सक्षम अनुमति /स्वीकृति के कच्चा /पक्का स्थायी निर्माण करने के सम्बन्ध मे महोदय उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि धुव घाट से लेकर जयसिंहपुरा बाटर तक लगभग 7से 8 किमी0 लम्बाई मे यमुना नदी के किनारे एवं पलड प्लेन मे कच्चा करने की नीत से कच्चे /पक्के निर्माण कार्य यमुना मिशन दारा किये जे रहे है। यमुना मिशन के कार्य संस्थापक श्री प्रदीप वंसल निवासी हरा फाटक मानिक चौक मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतला घाटी घीयामन्डी चौक बाजार मथुरा दारा कराये जे रहे है यमुना मिशन को पत्रांक 227/दिनांक 23.10.2018 दारा धारा 441 मे नोटिस जारी किया गया था श्री अनिल कुमार शर्मा दारा कुछ अभिलेख प्रस्तुत किये गये परन्तु अवैधानिक कच्चा एवं कार्यों के सम्बन्ध मे कोई भी एसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया कि निर्देश सावित हो सके। यमुना मिशन यमुना मिशन दारा इन कार्यों को करने के लिए किसी भी विभाग के सक्षम स्तर से कोई अनुमिति प्राप्त नही की गयी है अतः यमुना मिशन के संस्थापकश्री प्रदीप वंसल निवासी हरा फाटक मानिक चौक मथुरा एवं संयोजक श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी शीतलाघाटी घीयामन्डी चौक बाजार मथुरा के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करे दिनांक 3/11/2018 एसडी अग्नेजी संजीव कुमार तिवारी सहायक अभियन्ता प्रथम आगरा नहर मथुरा मोबाइल 9639810058 एसडी अग्नेजी वृंजराज सिंह जिलेदार द्वितीय अपरखण्ड आगरा मथुरा न0 9456862712 एसडी हिन्दी रामअवतार शर्मा रामअवतार शर्मा सीवपाल वाटी अपर खण्ड आ0न0म0 मो0 8126646924 नोट मे सीसी 368 गिरनेश कुमार प्रमाणित करता हू कि सहरीर की नकल शब्द व शब्द टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत

(1) Registered the case and took up the investigation:

or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rambhool Sharma Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (812028432 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया
(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, तही दर्ज हुई माना और R.O.A.C. (आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant, (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(शाना भारती के हस्ताक्षर)
Name (नाम): PS Govind Nagar
Rank (रैंक): I (Inspector)
No. (नं.): 9454403941

कार्यालय : नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक:- ३४५ / स०न०आ०का० / न०नि०म०वृ०मथुरा / 2021-22

दिनांक :- 25.01.2022

नोटिस

श्री प्रदीप बंसल,
संस्थापक,
यमुना मिशन, मथुरा।

आपकी संस्था द्वारा नगर निगम की बिना अनुमति के गऊघाट के समीप यमुना नदी के किनारे नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए पेड़-पौधे लगाकर एवं कच्चे-पक्के घाट का निर्माण कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसी प्रकार ग्राम जयसिंहपुरा व रेतिया मुहाल में भी करोड़ों रुपये मूल्य की लगभग 50 एकड़ भूमि पर कच्चा-पक्का निर्माण कराकर एवं पेड़-पौधे लगाकर भूमि कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आपकी संस्था द्वारा डूब क्षेत्र में सिचाई विभाग एवं मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है तथा नगर निगम भूमि पर बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए ही अवैध निर्माण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको नोटिस जारी किया गया था।

इस नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी भी स्तर, यथा शासन/प्रशासन/नगर निगम आदि, से अनापत्ति प्राप्त की गयी हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 27.01.2022 तक उपलब्ध कराएं, यदि अनुमति न हो तो आप यमुना नदी के किनारे नगर निगम भूमि पर किए गये समस्त अवैध निर्माणों को आगामी 03 दिवस में हटवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं आपकी संस्था के विरुद्ध, भूमि रिक्त कराते हुए, विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

प्रतिनिधि,
सचिव महोदय, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सादर सूचनार्थ।
क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 65 ए. बल्देवपुरी, महोली रोड मथुरा।
अधिशाली अभियंता, सिचाई विभाग, मथुरा।

90107724518 1420251800000005
M. AREA 50000 PNR 55 261001
Counter No: 128/01/2022, 14111
10399481P BANGA, 10399481 PNR 55
PIN: 261001, Buthara RD
From: 10399481 PNR 55, 10399481 PNR 55
M: 10399481
10399481 PNR 55
(Track) on www.indiapost.gov.in



सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

2403

कार्यालय : नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक:- १४५ / स०न०आ०का० / न०नि०म०वृ०मथुरा / 2021-22

दिनांक :- 25.01.2022

नोटिस

श्री प्रदीप बंसल,
संस्थापक,
यमुना मिशन, मथुरा।

आपकी संस्था द्वारा नगर निगम की बिना अनुमति के गऊघाट के समीप यमुना नदी के किनारे नगर निगम की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए पेड़-पौधे लगाकर एवं कच्चे-पक्के घाट का निर्माण कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसी प्रकार ग्राम जयसिंहपुरा व रेतिया मुहाल में भी करोड़ों रुपये मूल्य की लगभग 50 एकड़ भूमि पर कच्चा-पक्का निर्माण कराकर एवं पेड़-पौधे लगाकर भूमि कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आपकी संस्था द्वारा डूब क्षेत्र में सिचाई विभाग एवं मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है तथा नगर निगम भूमि पर बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किए ही अवैध निर्माण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपको नोटिस जारी किया गया था।

इस नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी भी स्तर, यथा शासन/प्रशासन/नगर निगम आदि, से अनापत्ति प्राप्त की गयी हो तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 27.01.2022 तक उपलब्ध कराएं, यदि अनुमति न हो तो आप यमुना नदी के किनारे नगर निगम भूमि पर किए गये समस्त अवैध निर्माणों को आगामी 03 दिवस में हटवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं आपकी संस्था के विरुद्ध, भूमि रिक्त कराते हुए, विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव महोदय, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड मथुरा।
3. अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग, मथुरा।

S.N.A महोदय

नोटिस केक्रे यमुना मिशन कार्यालय
जोन्ड प्लाजा पेहोला पम्प के पुराने बन्दूक
रोड मथुरा पर नोटिस संस्था के कार्यालय में मो के पर
कार्यालय पर कोई भी नदी प्रिला लला नद मिभा।
दिनांक 27/1/22

27/1/22 R.A.M.M

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

2403

कार्यालय : नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक:- 52 / स0न0आ0का0 / न0नि0म0वृ0मथुरा / 2021

दिनांक :- 03.06.2021

नोटिस

श्री प्रदीप बंसल,
संस्थापक,
यमुना मिशन, मथुरा।

गऊघाट के समीप यमुना नदी के किनारे पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 02.06.2021 को अधिशासी अभियंता (निर्माण) नगर निगम मथुरा वृन्दावन के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि आपकी संस्था द्वारा अवैध रूप से नगर निगम की भूमि पर कब्जा करते हुए यमुना नदी के किनारे पक्के घाट का निर्माण कर दिया गया है तथा आस-पास के अन्य क्षेत्र को भी पक्का निर्माण कराकर पार्क का रूप दिया जा रहा है। आपकी संस्था ने इस कार्य द्वारा सिचाई विभाग एवं मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है तथा नगर निगम भूमि पर बिना अनुमति अवैध निर्माण कर लिया गया है।

इस नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अवैध निर्माण आगामी 03 दिन में हटाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं आपकी संस्था के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

महादप
कापलप में मेधा महेश्वरी मैडम मिनी
नोटिस लेके दे मना किया आत. कापलपके
वाटर चस्या नोटिस चस्या करी दिया है।

10-6-2021

1923

कार्यालय : नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक:- 48 / स0न0आ0का0 / न0नि0म0वृ0मथुरा / 2021

दिनांक :- 03.06.2021

नोटिस

प्रबन्धक,
यमुना मिशन, मथुरा।

गऊघाट के समीप यमुना नदी के किनारे पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 02.06.2021 को अधिशासी अभियंता (निर्माण) नगर निगम मथुरा वृन्दावन के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि आपकी संस्था द्वारा अवैध रूप से नगर निगम की भूमि पर कब्जा करते हुए यमुना नदी के किनारे पक्के घाट का निर्माण कर दिया गया है तथा आस-पास के अन्य क्षेत्र को भी पक्का निर्माण कराकर पार्क का रूप दिया जा रहा है। आपकी संस्था ने इस कार्य द्वारा सिचाई विभाग एवं मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है तथा नगर निगम भूमि पर बिना अनुमति अवैध निर्माण कर लिया गया है।

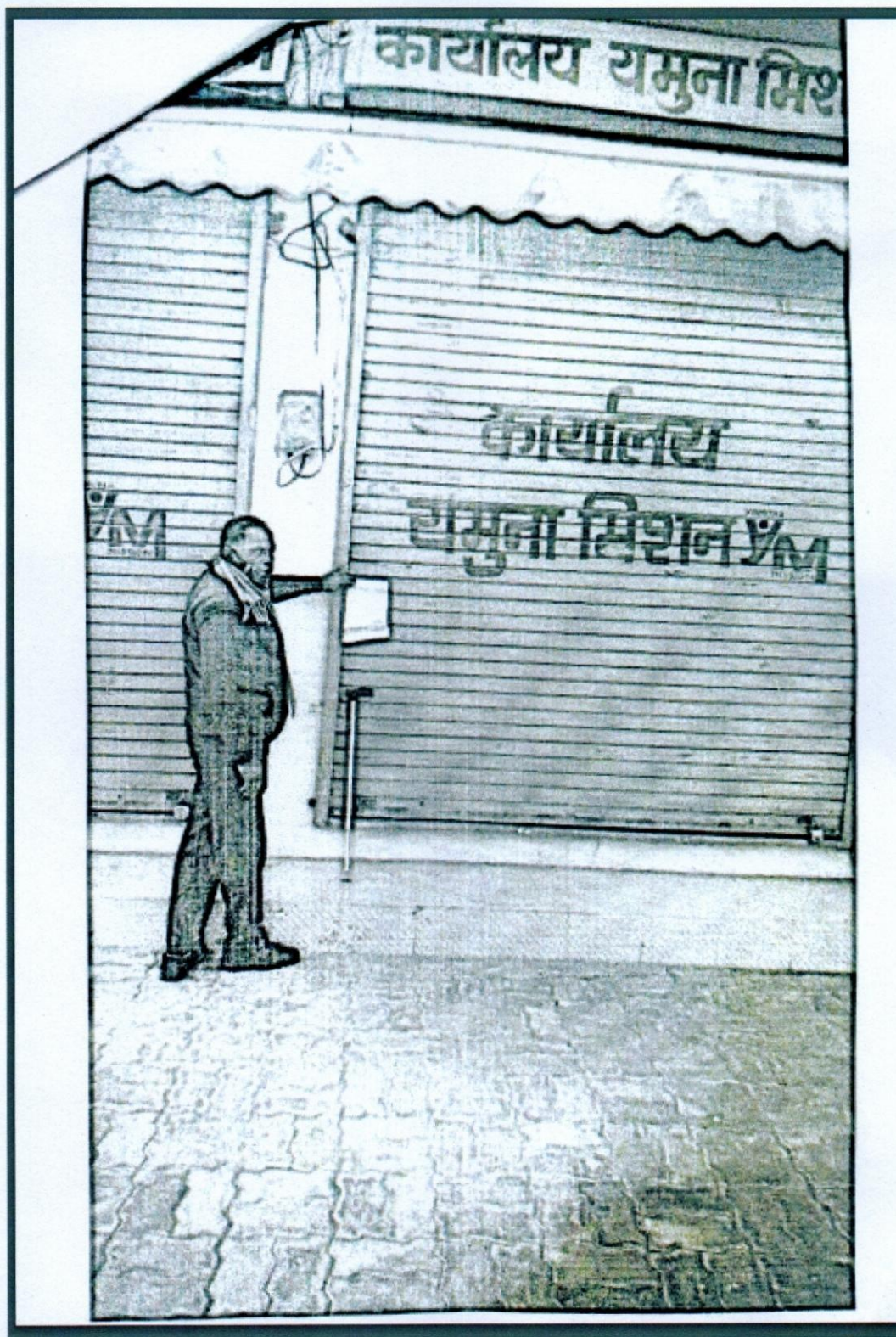
इस नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल अवैध निर्माण आगामी 03 दिन में हटाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके एवं आपकी संस्था के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

महोदय

नोटिस के प्राप्त कार्यालय यमुना मिशन मथुरा
पर चल्पा कर दी गई है।

4-6-2021



[Handwritten signature]